FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0260 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/09/2026 13:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 08/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 08/06/2026
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:10 बजे **Time To (समय तक):** 15:27 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/09/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/09/2026 13:36:21 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** RAMGARH JILA JAISALMER

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JAGDISH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PURUSHOTTAMRAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KUMAHRKODHA, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KUMAHRKODHA, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NIRMAL KUMAR		पिता:RAVTARAM	1. RAMGARH,JAISALMER,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर विषय- रिश्वत मांगने वाले भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथों गिरफतार करवाने के संबंध में। महोदय जी निवेदन है कि मैं जगदीश पुत्र पुरूषोतम राम जाति नाई उम्र 35 वर्ष निवासी सुथारों व कुम्हारों का वास कुम्हार कोठा जैसलमेर ग्राम जोगा हल्का राघवा तह. रामगढ जिला जैसलमेर में खसरा नम्बर 214, 362 तथा खसरा न. 272/916 खरिदना चाहता हॅू जिसका बेचान इकरार नामा बेचानकर्ता से दि. 13/5/26 को हुआ है। जिसकी रजिस्ट्री हेतु मुझे उक्त खसरों की जमाबन्दी नकल, नक्सा व मौका रिपोर्ट की आवश्यकता हैं। हल्का पटवारी श्री निर्मल द्वारा दोनो भूमि हेतु प्रत्येक बेचान नामा के 6 हजार रू. कुल 12 हजार की मांग की गई है, मै जमाबन्दी नकल, नक्सा व मौका रिपोर्ट हेतू पटवारी को रिश्वत नहीं देकर मरे विधिक काम हेतु रिश्वत मांगने पर कार्यवाही करवाकर रंगे हाथों गिरफतार करवाना चाहता हॅू। मेरे ईस पटवारी से कोई दुश्मनी व रजिंश नहीं है ना हि ईससे मेरा कोई हिसाब लेनदेन बकाया है। अतः उक्त दोनो ईकरारनामे की प्रति संलग्न प्रस्तुत कर रहा हॅू। कृपया कार्यवाही करवाये। दिनांक 8/6/26 भवदीय, एसडी जगदीश s/o पुरूषोतम राम जाति नाई निवासी कुम्हार कोठा जैसलमेर मो.

कार्यवाही पुलिस दिनांक 08.06.2026 वक्त 10.10 ए.एम. पर परिवादी श्री जगदीश पुत्र पुरूषोतम राम जाति नाई उम्र 35 वर्ष निवासी सुथारों व कुम्हारों का वास कुम्हार कोठा जैसलमेर ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट पेष की व दरियाफ्त पर बताया कि ग्राम जोगा हल्का राघवा तह. रामगढ जिला जैसलमेर में खसरा नम्बर 214, 362 तथा खसरा न. 272/916 खरिदना चाहता हॅू जिसका बेचान इकरार नामा बेचानकर्ता से दि. 13/5/26 को हुआ है। जिसकी रजिस्ट्री हेतु मुझे उक्त खसरों की जमाबन्दी नकल, नक्सा व मौका रिपोर्ट की आवश्यकता हैं। हल्का पटवारी श्री निर्मल द्वारा दोनो भूमि हेतु प्रत्येक बेचान नामा के 6 हजार रू. कुल 12 हजार की मांग कर रहा हैं। मैं मेरे जायज कार्य के लिये श्री निर्मल कुमार पटवारी को उक्त दोनों खसरों की जमाबन्दी नकल, नक्सा व मौका रिपोर्ट देने की एवज में रिश्वत के रूप में कुल 12 हजार रूपये रिश्वत नहीं देना चाहता हू, परिवादी द्वारा उक्त लिखित रिपोर्ट स्वंय की हस्तलिपि में होकर आरोपी श्री निर्मल कुमार से किसी प्रकार की रंजिश व लेन-देन बकाया नहीं होना बताया। परिवादी की रिपोर्ट एवं दरयाप्त हालात से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)का पाया जाने से आईन्दा रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 08.06.2026 को वक्त 10.40 ए.एम. पर कार्यालय हाजा मे उपस्थित श्री भंवरलाल कानि 309 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर हाजिर परिवादी श्री जगदीश से परस्पर परिचय करवाकर इनके मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय की सुरक्षित अलमारी से कार्यालय हाजा का डिजिटल वाइस रिकार्डर निकलवाया जाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू करने व बंद करने कि विधि से परिवादी श्री जगदीश व श्री भंवरलाल कानि 309 को समझाईस की गई। ताबाद परिवादी श्री जगदीश ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं श्री निर्मल कुमार पटवारी की रामगढ में उपस्थिति के सबंध में सूचना प्राप्त कर उपस्थित होने पर आपको सूचित कर दुगा। जिस पर परिवादी व ब्यूरों स्टाफ श्री भंवरलाल कानि 309 को आपस में एक- दुसरे के मोबाईल नम्बर दिलवाये गये व परिवादी श्री जगदीश को कार्यवाही के संबंध में गोपनीयता बरतते हुए परिवादी की उपस्थिति की सटीक जानकारी होने पर ब्यूरों स्टाफ श्री भंवरलाल कानि 309 को उसके मोबाईल पर सूचना देने हेतु हिदायत कर रूखसत दी गई। कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। दिनांक 08.06.2026 को वक्त 12.09 पी.एम. पर श्री भंवरलाल कानि 309 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री जगदीश के मोबाईल नम्बर से कॉल आया व बताया है कि संदिग्ध अधिकारी कस्बा रामगढ में अपने कार्यालय पर उपस्थित है, आज ही रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हो सकती है परिवादी श्री जगदीश ने श्री भंवरलाल कानि 309 को यह भी बताया कि मै आपको हनुमान चौराहा जैसलमेर पर उपस्थित मिलूंगा। वक्त 12.55 पीएम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित हालात में रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे नया BRINTON 64 जीबी मेमोरी कार्ड डालकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर खाली होना सुनिश्चित कर श्री भंवरलाल कानि 309 को सुपुर्द कर परिवादी श्री जगदीश से सम्पर्क कर उसको हनुमान चौराहा जैसलमेर से साथ लेकर एवं मुनासिब हिदायत कर परिवादी श्री जगदीश व आरोपी श्री निर्मल कुमार पटवारी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु परिवादी श्री जगदीश के साथ

रामगढ की तरफ रवाना किया गया। वक्त 03.27 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर श्री भंवरलाल कानि 309 ने वाट्सएप कॉल कर बताया कि मै निर्देशानुसार कार्यालय से रवाना होकर हनुमान चौराहा जैसलमेर पहुच परिवादी श्री जगदीश से सम्पर्क कर उसे साथ लेकर आपके निर्देशानुसार रामगढ में पुलिस थाना के सामने पहुचे, मेरे द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध आरोपी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतु तहसील कार्यालय में पटवारी के कार्यालय कक्ष की तरफ रवाना किया गया एवं मैं पुलिस थाना रामगढ के आस-पास अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के वापिस आने के इन्तजार में व्यस्त हुआ। वक्त करीब 45-50 मिनट पश्चात परिवादी मेरे पास आया व कार्यालय को डिजीटल वाईस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जिस मैने स्वीचऑफ कर सुरक्षित रूप से अपने पास रखा। व परिवादी ने बताया है कि मेरी निर्मल कुमार पटवारी से मेरे कार्य के सबंध में वार्ता हो गई है, पटवारी द्वारा मेरे एक कार्य के कागजात जमाबन्दी नकल, नक्सा व मौका रिपोर्ट इत्यादि तैयार कर सुपुर्द कर दिये है। उक्त तैयार किये कागज देने की एवज में श्री निर्मल कुमार पटवारी द्वारा 2500/- रू. ऑन लाईन प्राप्त कर लिये गये है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री भंवरलाल कानि 309 को फोन पर ही हिदायत की गई कि आप परिवादी श्री जगदीश को साथ लेकर कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित हालात में रखते हुए तुरन्त कार्यालय में उपस्थित आवे। वक्त 04.40 पी.एम. पर श्री भंवरलाल कानि 309 एवं परिवादी श्री जगदीश कार्यालय में उपस्थित आये व श्री भंवरलाल कानि 309 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकार्डर स्विच ऑफ हालात में सुपुर्द किया व परिवादी श्री जगदीश ने श्री भंवरलाल कानि उक्त कथनों की ताईद करते हुए बताया कि मै व श्री भंवरलाल कानि रामगढ पहुच पुलिस थाना रामगढ के पास श्री भंवरलाल कानि ने डिजीटल वाईस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जिस पर मै वहां से रवाना होकर तहसील कार्यालय में पटवारी श्री निर्मल कुमार के कार्यालय कक्ष में पहुचा। कुछ समय पश्चात श्री निर्मल कुमार पटवारी उपस्थित आये जिस पर पटवारी से मैने मेरे कार्य के सबंध में पूछा तो पटवारी जी ने बताया कि जमाबंदी नकल व नक्शा का प्रिन्ट ई मित्र से निकलवा कर ले आवों तथा मौका रिपोर्ट में अपने हाथ से बनाकर आपको दे दूगा। जिस पर मै पटवारी के कहे अनुसार तहसील कार्यालय के पास ही लगे ई मित्र से खातेदार श्री नन्द किशोर सोनी के खसरा सं 214 व 362 की जमाबन्दी नकल व नक्शा का प्रिन्ट निकलवाकर पटवारी को पेश किया जिस पर पटवारी द्वारा उक्त दस्तावेजात पर अपने हस्ताक्षर व सील लगाकर तथा मौका रिपोर्ट अलग से तैयार कर मांग सत्यापन के दौरान ही मुझे सुपुर्द कर दिये उक्त दस्तावेजों की एवज में पटवारी द्वारा मेरे से 2500/- रूपये रोकडा मांगे, मेरे पास 2500/- रूपये रोकड नहीं होने बाबत पटवारी को कहने पर पटवारी ने मुझे एक मोबाईल नम्बर बोलकर कर बताये जाकर उक्त मोबाईल नम्बर पर 2500/- रू. ऑनलाईन भेजने हेतु कहने पर मेरे द्वारा उसी समय उक्त मोबाईल नम्बर पर उक्त मांगी गई राशि भेजी गई। मेरा एक ईकरारनामा खातेदार श्री बाबूलाल सुथार का खसरा सं 272/916 की जमाबन्दी नकल, नक्शा व मौका रिपोर्ट पटवारी के पास अभी भी पेण्डिंग है। परिवादी श्री जगदीश को आरोपी पटवारी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज का मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त कर अवलोकन किया गया तो पटवारी द्वारा परिवादी को खसरा सं 214 व 362 की जमाबन्दी नकल, नक्शा व मौका रिपोर्ट तैयार कर सुपुर्द की गई है। साथ ही परिवादी ने अपने मोबाईल में आरोपी के कहे अनुसार भेजे गये ऑनलाईन पेमेन्ट का विवरण दिखाया, जिससे पाया गया कि वक्त 03.18 पीएम पर श्री भगवानसिंह के माबाईल नम्बर पर 2000/- रूपये जरिये यूपीआई आईडी 615943771570 एवं वक्त 03.18 पीएम पर ही 500 रूपये जरिये यूपीआई आईडी 615981254736 कुल 2500/- रूपये परिवादी द्वारा ऑनलाईन भुगतान करना पाया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर रिकार्ड वार्ता को अच्छी तरह से सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये उक्त कथनों की पुष्टि हुई परन्तु परिवादी श्री जगदीश द्वारा उपरोक्त एक कार्य की एवज में आरोपी श्री निर्मल कुमार पटवारी को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान हीं आरोपी के बताये गये मोबाईल नम्बरों पर ऑनलाईन पेमेन्ट 2500/- रूपये परिवादी द्वारा ट्रान्सफर किये जाकर रेकर्ड प्राप्त कर लिया गया है। परिवादी द्वारा दिनांक 08.06.2026 को पेश परिवाद मय संलग्न दस्तावेज अनुसार परिवादी का आरोपी श्री निर्मलकुमार पटवारी के पास एक कार्य श्री बाबूलाल सुथार का खसरा सं 272/916 की जमाबन्दी नकल, नक्शा व मौका रिपोर्ट पैण्डिग हैं परन्तु उक्त कार्य के संबंध में परिवादी व आरोपी श्री निर्मल कुमार पटवारी के मध्य मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान वार्ता नहीं की गई है तथा ना ही आरोपी श्री निर्मल कुमार पटवारी द्वारा परिवादी के उक्त कार्य के सबंध में वार्ता की गई है। चूंकि आरोपी द्वारा परिवादी का एक कार्य मौके पर ही किया जाकर परिवादी को जमाबन्दी नकल, नक्शा व मौका रिपोर्ट इत्यादि सुपुर्द कर उक्त कार्य की एवज मे मांग सत्यापन वार्ता के दौरान ही 2500/- रू. प्राप्त किये जा चुके है, शेष रहे एक कार्य के बारे में आरोपी व परिवादी के मध्य आपस में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप नहीं होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आईन्दा कल दिनांक 09.06.2026 को पुनः उक्त एक कार्य के संबंध में रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया गया एव परिवादी को निर्देशित किया कि आप द्वारा आरोपी श्री निर्मल कुमार के कहे अनुसार मांग सत्यापन के दौरान दी गई 2500/- रिश्वती राशि का अपने मोबाईल से ऑनलाईन लेन-देन का प्रिन्ट ऑउट निकाल कर पेश करने व पटवारी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात की प्रतियां पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 06.00 पी.एम. पर परिवादी द्वारा आरोपी श्री निर्मल कुमार पटवारी के बताये गये मोबाईल

नम्बर पर मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान दी गई 2500/- रिश्वती राशि का अपने मोबाईल से ऑनलाईन लेन-देन का प्रिन्ट ऑउट की स्व प्रमाणित प्रति व परिवादी को आरोपी श्री निर्मल कुमार द्वारा उनके कार्य से संबंधित तैयार किये गये जमाबन्दी नकल, नक्शा व मौका रिपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रतियां मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की, जिसका अवलोकन कर उक्त प्रति शामिल रनिंग नोट की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत की गई कि आरोपी पटवारी द्वारा आपको उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज मूल जमाबन्दी नकल, नक्शा व मूल मौका रिपोर्ट अपने पास सुरक्षित रखें व एसीबी कार्यालय अथवा माननीय न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर उक्त दस्तावेज तुरन्त पेश करें। वक्त 06.20 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री जगदीश को हिदायत की गई कि आरोपी द्वारा आपके एक कार्य की जमाबन्दी नकल, नक्शा व मौका रिपोर्ट तैयार कर आपको मांग सत्यापन वार्ता के दौरान ही सुपुर्द कर उक्त कार्य की एवंज मे आप द्वारा मौके पर ही 2500/- रुपये ऑनलाईन दे दिये गये हैं आरोपी के पास एक कार्य अभी भी विचाराधीन हैं परन्तु उक्त कार्य के संबंध मे मांग सत्यापन वार्ता मे वार्ता होना नही पाया गया हैं तथा ना ही उक्त कार्य की एवंज मे रिश्वत मांग के संबंध मे कोई वार्ता आई हैं। अतः कल दिनांक 09.06.2026 को पुनः इस बाबत मांग सत्यापन वार्ता करवाई जावेगी । साथ ही परिवादी को हिदायत की गई कि दिनांक 09.06.2026 को मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी श्री निर्मल कुमार को शेष कार्य की एवंज मे आरोपी को पूर्व की भॅाति मौके पर रिश्वत राशि नही दी जाकर कार्य के संबंध मे वार्ता कर मांग सत्यापन कर लावें। ताबाद परिवादी को दिनांक 09.06.2026 को वक्त 10.00 एएम तक कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निर्देशित कर रूखसत दी गई। दिनांक 09.06.2026 को वक्त 01.10 पीएम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री भंवरलाल कानि 309 को निर्देशित किया गया कि परिवादी श्री जगदीश को जरिये फोन सुचित करे कि दिनांक 09.06.2026 व 10.06.26 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से आईन्दा 11.06.26 को कार्यालय में उपस्थित आवे, जिस पर श्री भंवरलाल कानि 309 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि परिवादी के मोबाईल पर कॉल किया गया परन्तु परिवादी से सम्पर्क नहीं हो पाया। दिनांक 14.06.2026 को वक्त 11.10 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य गोपनीय राज कार्य हेतु जोधपुर गया हुआ हाजिर कार्यालय आया एवं श्री भंवरलाल कानि 309 ने बताया कि आपके निर्देशानुसार दिनांक 11.06.2026 को वक्त 9.13 ए.एम पर मेरे द्वारा परिवादी श्री जगदीश के मोबाईल पर कॉल कर वार्ता की जाने पर परिवादी ने बताया कि मेरे मामा जी का देहान्त हो गया है मै 15.06.2026 तक उपस्थित नहीं हो सकता हू। दिनंाक 16.06.2026 को वक्त 01.48 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री जगदीश को दिनांक 15.06.2026 को कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु हिदायत करने के उपरान्त भी इस समय तक उपस्थित नहीं आने पर श्री भंवरलाल कानि 309 के मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर कॉल कर वार्ता करवाई जाने पर परिवादी ने बताया कि मेरे मामा जी का देहान्त हो रखा है सामाजिक रीति रिवाज अनुसार मेहमान आ रहे है मै दिनांक 18.06.26 को कार्यालय में उपस्थित हो जाउगा। दिनांक 23.06.2026 को वक्त 07.42 पीएम. तक परिवादी श्री जगदीश के कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर श्री भंवरलाल कानि 309 के मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर कॉल कर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया तो परिवादी द्वारा कॉल अटैण्ड नहीं किया गया, निरूतर रहा। आईन्दा फिर परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 24.06.2026 को वक्त 09.11 एएम तक परिवादी श्री जगदीश के कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर श्री भंवरलाल कानि 309 के मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर कॉल कर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया तो परिवादी द्वारा बताया गया कि मै गांव से रवाना हो रहा हॅं तथा आपके कार्यालय में उपस्थित हो रहा हॅू। वक्त 10.49 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस भ्र.नि. ब्यूरों जोधपुर से जरिये फोन वार्ता कर अब तक की कार्यवाही के हालातों से अवगत करवाया जाकर रहबरी हासिल की गई । वक्त 03.37 पीएम तक परिवादी श्री जगदीश के कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर पुनः श्री भंवरलाल कानि 309 के मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर कॉल कर सम्पर्क करने का प्रयास किया गया तो परिवादी द्वारा कॉल अटैण्ड नहीं गया, निरूतर रहा। आईन्दा फिर परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 30.06.2026 को वक्त 07.10 ए.एम तक परिवादी श्री जगदीश के कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर व गोपनीय कार्यवाही के लम्बे समय से लम्बित होने के कारण श्री भंवरलाल कानि 309 को परिवादी के निवास स्थान का पता कर कार्यालय में लाने हेतु निर्देशित कर रवाना किया गया। वक्त 08.50 ए.एम पर श्री भंवरलाल कानि 309 परिवादी श्री जगदीश को साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित आया परिवादी श्री जगदीश ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की। रिपोर्ट का अवलोकन किया तो परिवादी द्वारा रिपोर्ट में अंकित किया कि ''मेरे द्वारा पूर्व में आपके कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के समक्ष दिनांक 08.06.2026 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र में मेरे द्वारा श्री निर्मल पटवारी पटवारी हल्का राघवा द्वारा मेरे कार्य की एवज में रिश्वत की मांग करने पर कार्यवाही करवाने का निवेदन किया गया था। श्री निर्मल पटवारी द्वारा मेरे खरीद करने वाले खसरे की नकल नक्शा व मौका रिपोर्ट दिनांक 08.06.2026 को मुझे दे दी थी, तथा दूसरें खसरे की नकल नक्शा व मौका रिपोर्ट मेरे किसी जानकार के साथ भिजवा दी जो मुझे दिनांक 10.06.2026 को प्राप्त हो गई है, अब मेरा उस पटवारी के पास कोई काम पेण्डिंग नहीं है और वो मुझसे किसी प्रकार की राशि की मांग नहीं कर रहा है। अब मै कोई कार्यवाही नंही करवाना चाहता हॅू।'' साथ ही परिवादी ने दरियाफत पर बताया कि मेरे मामा

जी का देहान्त हो जाने के कारण सामाजिक कार्यो में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका तथा मुझे दिनांक 10.06.2026 को आरोपी श्री निर्मलकुमार पटवारी के द्वारा मेरे शेष रहे कार्य से संबंधित उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के बारे में भी आपको अवगत नहीं करवा पाया। परिवादी ने यह भी बताया कि पटवारी श्री निर्मल कुमार द्वारा मेरे शेष कार्य के दस्तावेज भी भिजवा दिये है, ऐसी स्थिति में अब वह मेरे से रिश्वत राशि के बारे में वार्तालाप नहीं करेगे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 10.06.2026 को आरोपी श्री निर्मल कुमार ने आपको प्रस्तुत कार्य से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पुछने पर परिवादी ने कहा कि उक्त दस्तावेज मैने अपने कार्योपयोग में लिये जाकर तहसील में जमा करवा दिये है। परिवादी की उक्त रिपोर्ट एवं दरियाफत से परिवादी श्री जगदीश का संदिग्ध आरोपी श्री निर्मल कुमार पटवारी के पास कोई कार्य लम्बित नहीं है। अतः अब अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही होने से दिनांक 08.06.2026 को आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाई गई थी, उक्त वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट बनवाई जाने का निर्णय लिया गया। वक्त 10.00 ए.एम. पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जैसलमेर के नाम पत्र क्रमंाक 850 दिनांक 30.06.2026 जारी कर श्री कंवराजसिंह कानि 444 को उक्त कार्यालय से दो स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। वक्त 10.30 ए. एम. पर श्री कंवराजसिंह कानि0 444 ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान लेकर चौकी हाजा पर उपस्थित आया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान को अपना परिचय देकर बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाते हुए गवाहान से परिचय पुछा गया तो उन्होने अपना -अपना परिचय क्रमषः श्री गोपालसिंह भाटी पुत्र श्री स्वरूपसिंह जाति राजपूत उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम सत्याया पोस्ट सत्याया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा जैसलमेर एवं श्री गम्भीरसिंह पुत्र श्री हिन्दूसिंह जाति राजपूत उम्र 29 साल निवासी गांव पोस्ट मोढा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा जैसलमेर के रुप में दिया। वक्त 10.40 ए.एम. पर परिवादी श्री जगदीश पूर्व से ही कार्यालय मे उपस्थित है जिसे कार्यालय कक्ष में तलब कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाह से परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपसी परिचय करवाया गया तत्पस्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी का स्वयं लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2026 एवं प्रार्थना पत्र दिनाक 30.06.2026 को पढकर सुनाया गया व पढने हेतु दी जाकर तथा आरोपीगण व परिवादी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है, को चालु कर मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य - मुख्य अंश सुनाये गये। दोनों गवाहान द्वारा भी हाजिर परिवादी से रिपोर्ट के संबध में पूछताछ कर बाद तसल्ली के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों मय दस्तावेजात पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर करते हुए इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति दी गई। वक्त 11.30 एएम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री जगदीश व आरोपी श्री निर्मल कुमार पटवारी पटवार हल्का जोगा तहसील रामगढ जिला जैसलमेर के मध्य दिनांक 08.06.2026 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप, जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल नया BRINTON 64 जीबी के मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्ड हैं। कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर कार्यालय के लेपटॉप में जोड़कर उक्त रिकॉर्डिंग वार्तालाप को रूबरू दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के सुन-सुन कर एंव समझकर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री भवरलाल कानि 309 के सहयोग से कार्यालय लेपटॉप से हूबहू फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। परिवादी स्वयं एवं आरोपी के आवाज की पहचान परिवादी श्री जगदीश द्वारा की गई। वार्तालाप की कार्यालय लेपटॉप से हूबहू फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल BRINTON 64 जीबी के मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्ड उक्त रिश्वती राशि मांग-सत्यापन वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप मे कॉपी करवाई जाकर कार्यालय के लेप-टॉप की सहायता से श्री भंवरलाल धीर कानि 309 से दो मेमोरी कार्ड तैयार करवाये जाकर उक्त दोनो मेमोरी कार्ड को डब मानते हुए खुले रखे गए। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल BRINTON 64 जीबी के मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार श्री भंवरलाल धीर कानि 309 द्वारा हैष वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। मांग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड BRINTON 64 जीबी को मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर एक कपड़े की थैली में डालकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण विवरण अंकित कर सील्ड मौहर कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क ''एम'' अंकित किया जाकर उक्त शील्डशुदा पैकेट मय दो डब मेमोरी कार्ड श्रीमती बनू कुमारी हैड कानि 114 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। समय 05.30 पी.एम पर प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से स्वतन्त्र गवाह श्री गोपालसिंह भाटी हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा जैसलमेर एवं श्री गम्भीरसिंह हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा जैसलमेर एवं परिवादी श्री जगदीश को रूखसत दी गई। परिवादी द्वारा दिनांक 30.06.2026 को पेश हस्तलिखित रिपोर्ट एवं दरियाफत से परिवादी श्री जगदीश के शेष श्री

बाबुलाल सुथार से किये गये बैचान इकरारनामा भूमि खसरा संख्या 272/916 की जमाबन्दी नकल, नक्शा व मौका रिपोर्ट आरोपी श्री निर्मलकुमार पटवारी द्वारा दिनांक 10.06.2026 को तैयार कर भिजवाने, तथा आरोपी के पास परिवादी का अब कोई भी कार्य संदिग्ध आरोपी श्री निर्मल कुमार पटवारी के पास लम्बित नहीं होने से अब अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही हैं। अतः ट्रेप कार्यवाही यही पर ड्रॅाप की जाकर रनिंग नोट लिखना बंद् किया गया। अब तक की कार्यवाही से परिवादी श्री जगदीश द्वारा श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री कुन्दनलाल सोनी निवासी रामगढ से खसरा संख्या 214 व 362 का किया गया इकरारनामा बैचान भूमि की, दिनांक 08.06.2026 को दौराने मांग सत्यापन वार्ता आरोपी श्री निर्मल कुमार पटवारी पटवार हल्का राघवा तहसील रामगढ जिला जैसलमेर द्वारा जमाबन्दी नकल, नक्शा व मौका रिपोर्ट तैयार कर परिवादी श्री जगदीश को सुपुर्द कर, आरोपी श्री निर्मलकुमार पटवारी द्वारा मौके पर ही परिवादी से 2500/- रूपये रोकड़ मांगने, परिवादी के पास रोकड़ उपलब्ध नही होने पर आरोपित पटवारी द्वारा मोबाईल नम्बर
बोलकर, उक्त मोबाईल नम्बर पर परिवादी से 2500/- रू. ऑनलाईन भेजने हेतु कह कर 2500/- रुपये मोबाईल नम्बर
पर ऑन लाईन प्राप्त करने का जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। अतः श्री निर्मल कुमार पटवारी पटवार हल्का राघवा तहसील रामगढ जिला जैसलमेर का उक्त कृत्य अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दंडनीय अपराध होने से आरोपी के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमांकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है। भवदीय (नरपत चंद) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर.........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत चंद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, जैसलमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री रावताराम जाति कुमावत उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट रामगढ जिला जैसलमेर हाल-पटवारी पटवार मण्डल राघवा तहसील रामगढ जिला जैसलमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ओमप्रकाश, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बालोतरा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 196 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1498-1501 दिनांक 14.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- जिला कलक्टर, जैसलमेर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** OM PRAKASH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/09/2026 15:17:37

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)